

**राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गंगथ, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा के छात्र
कल्याण निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2011 से 3/2015**

भाग—एक

- 1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:—** संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की कार्रवाई के अवलोकन के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है:—

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/2007 से 3/2011

पैरा—3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क)
पैरा—4	निर्णीत	(वित्तीय स्थिति पुनः प्रारूपित)
पैरा—5	निर्णीत	(वसूली देख ली गई है)
पैरा—6	अनिर्णीत	
पैरा—7	निर्णीत	(वसूली देख ली गई है)
पैरा—8	अनिर्णीत	

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था "गंगथ" के अवधि 4/2011 से 3/2015 के निधि लेखों का वर्तमान अंकेक्षण/जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेद में दिए गए हैं, श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक 3.8.2015 से 12.8.2015 के दौरान संस्थान के कार्यालय परिसर में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 7/11, 9/12, 7/13 व 7/14 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 9/11, 4/12, 7/13 व 9/14 को चयनित किये गए।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधानाचार्यों ने संस्थान में आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्य किया।

क्र०सं०	प्रधानाचार्य का नाम	अवधि
1	श्री किरत सिंह सोहल	1.4.10 से 3.3.15
2	श्री एस०के० लखनपाल	4.8.15 से 27.5.15

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त संस्था

द्वारा उपलब्ध करवाई गई, किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

3 अंकेंक्षण शुल्क

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था "गंगथ" के अवधि 4/2011 से 3/2015 के निधि लेखों के अंकेंक्षण हेतु अंकेंक्षण शुल्क ₹6000/-बनता है। अंकेंक्षण शुल्क की इस राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009 को भेजने हेतु संस्थान के प्रधानाचार्य से अंकेंक्षण अध्याचना संख्या 138 दिनांक 1.8.15 द्वारा अनुरोध किया गया। इस राशि को संस्थान द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या 678704 दिनांक 12.8.15 द्वारा प्रेषित कर दिया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान "गंगथ" द्वारा प्रस्तुत संस्थान की छात्र कल्याण निधि की अंकेंक्षणाधीन अवधि की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा परिशिष्ट "क" पर दिया गया है।

5 निवेश

अंकेंक्षणाधीन अवधि के दौरान संस्थान द्वारा सावधि जमा योजना में निवेशित राशि का विवरण परिशिष्ट "ख" पर दिया गया है।

6 रसीदों का स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे

जाँच के दौरान छात्रों की फीस वसूली से सम्बन्धित रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर अंकेंक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में संस्थान द्वारा प्राप्त की गई, प्रयोग की गई रसीद बुकों व शेष रसीद बुकों की जाँच अंकेंक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अतः इस सन्दर्भ में औचित्य स्पष्ट करते हुए अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाये।

7 हाजिरी रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे

अंकेंक्षण के दौरान हेयर एंड स्क्रीन ट्रेड का वर्ष 2011-12 का हाजिरी रजिस्टर आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में उक्त वर्ष में वसूल की गई निधियों व जुर्माना राशि की सत्यता की जाँच अंकेंक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अतः वाँछित रजिस्टर आगामी अंकेंक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

8 अनियमित भुगतान करने बारे

वाउचर संख्या 5 की जाँच करने पर पाया गया कि मै0 भारती मोबाईल शाहपुर से उनके बिल संख्या 1824 दिनांक 29.8.11 के अन्तर्गत ₹500 का सी0डी0 आर0 खरीदा गया।

उक्त व्यय अधिसूचना संख्या EDN (TE) A(3)2/2004 दिनांक 8.7.10 के अनुसार उक्त निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः इस सन्दर्भ में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से इस अनियमित व्यय को नियमित करवाया जाये अन्यथा उक्त राशि की उचित स्रोत से वसूली करके इस निधि में जमा किया जाये व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाये।

9 अखबार की रददी की नीलामी न करने बारे

अंकक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार दिए गए कुछ प्रकरणों के अनुसार संस्थान द्वारा छात्र कल्याण निधि से अखबारों की खरीद की गई है, परन्तु अखबार की रददी की नीलामी पाँच वर्षों में एक बार भी नहीं की गई है, जोकि उचित नहीं है। अतः अखबार की रददी की नीलामी न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व अब रददी की नीलामी शीघ्र करके इससे प्राप्त आय को छात्र कल्याण निधि में जमा किया जाये व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाये।

बिल संख्या	माह	फर्म का नाम	राशि
724	7 / 11	मै० शर्मा न्यूज ऐजेन्सी गंगथ	105
3895	10 / 11	मै० शर्मा न्यूज ऐजेन्सी गंगथ	105
1104	4 / 13	मै० शर्मा न्यूज ऐजेन्सी गंगथ	105

10 अग्रिम रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे

अंकक्षण के दौरान संस्था द्वारा अग्रिम रजिस्टर जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में अग्रिम कब-कब दिया गया तथा कितना-कितना अग्रिम दिया गया तथा किस-किस प्रयोजन पर कितना-कितना व्यय अग्रिम से किया तथा अग्रिम से कितनी राशि बची, इत्यादि महत्वपूर्ण तथ्यों की वास्तविकता की जाँच नहीं की जा सकी। अतः अग्रिम रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अग्रिम रजिस्टर को आगामी अंकक्षण पर जाँच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

11 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा छात्र कल्याण निधि से क्रय किये गए सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना (Physical Verification) नहीं करवाई गई, जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम की धारा 15.17 के अन्तर्गत स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापना की जानी अपेक्षित थी। अतः नियमों की अनुपालना में स्टॉक की प्रत्यक्ष सत्यापन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अविलम्ब स्टॉक में पड़े सामान का

प्रत्यक्ष की सत्यापन करवाकर भविष्य में वार्षिक सत्यापना करनी सुनिश्चित करते हुए की गई कार्रवाई से ऑडिट को अवगत करवाया जाये।

12 लघु आपत्ति विवरणिका:- यह अलग से जारी नहीं की गई है।

13 निष्कर्ष:- लेखाओं के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/-

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या: फिन (एल0ए0)सी (15) (xi) (ii) 492 / 2011-6756-6757 दिनांक 17.11.15, शिमला-171009.
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- पंजीकृत**
- 1 प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गंगथ, जिला कांगड़ा, (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भिजवायें।
 - 2 निदेशक, तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0

हस्ता/-

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.